न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2025/122

सिविल प्रकरण संख्याः– 04/2025 तारीख रजू 17.04.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहन लाल **शर्मा** (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स आशा शर्मा ढाबा, कुस्तला तिराहा, टोंक हाईवे कुस्तला, सवाई माधोपुर 322001 निवासीः– सत्यनारायण मंदिर के पास कुस्तला सवाई माधोपुर राजस्थान 322001

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 & 2(iv) 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 23.12.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 06.09.2024 को दोपहर 12.30 पी.एम. पर फर्म आशा शर्मा ढाबा, कुस्तला, सवाई माधोपुर पर पहुंचे। जो व्यक्ति मिला उसे उन्होंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहन लाल शर्मा फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि ढाबे में परोसे जाने वाले सब्जी, स्नेक्स तैयार करने हेतु जो पनीर काम में लिया जाता है जो किचन के डीप फ्रिज में रखा था। उक्त **पनीर (लूज)** में गुणवत्ता में कमी होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम **पनीर** खरीदकर उसकी कीमत 300/– रूपये विक्रेता सतीश कुमार शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान दिनेश गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, समझकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सतीश कुमार शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही [illegible] हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति सतीश कुमार शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कुमार सिंह ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम **पनीर (लूज)** को एक स्टील के खाली बर्तन में लेकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की बोतलो में बराबर–बराबर भरकर 20–20 बूंदे फार्मेलीन डालकर उनको ऐयरटाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3404** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-3404 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सतीश कुमार शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2024/1056 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3656/एक्ट/2024/3538 दिनांक 20.09.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पनीर, Sub Standard & Extraneous matter** प्रकृति का होना पाया गया है।

अभिहित अधिकारी द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह का स्थानान्तरण जिला जयपुर प्रथम हो जाने के फलस्वरूप आवेदक वेद प्रकाश पूर्विया को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2025/469 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में निर्णयन आवेदक फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard & Extraneous matter, पनीर (लूज)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 2(iv) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जबाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-Standard & extraneous matter, पनीर** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 2(iv) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में पेश किये गये जबाब को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त के भोजनालय से **खाद्य पदार्थ पनीर** का जांच हेतु नमूना लिया गया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। प्रार्थी पनीर बाजार से खरीदता है। अन्त में प्रार्थी ने प्रकरण ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3656/एक्ट/2024/3538 दिनांक 20.09.2024 के अनुसार खाद्य नमूना पनीर (लूज) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार पनीर की जांच में Fat content of the dry matter results 45.76% insteads of 50.0% and more, B.R.Reading at 40.0^{0}C of extracted fat results 48.3 which should be 40.0 to 44.0 (Milk fat), Reichert Value of extracted fat results 3.67 insteads of 24.0 Minimum पाये जाने के कारण सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौरान जांच अथवा बाद में भी अग्रिम खरीद का कोई बिल पेश नहीं किया गया है जिससे अभियुक्त का कथन कि उक्त पनीर उनके द्वारा बाजार से खरीदा गया है सही प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) & 2(iv) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ पनीर** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 15,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **23.12.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:48 IST
Reason: SelfAttested